# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

**प्रकरण सं0 : 31/2021**

1. पुर्णाराम पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा ।

:– वादी

**ब ना म**

1. हजारीराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा ।
2. महावीर पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
3. भादरराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
4. विमां पुत्री हजारीराम पत्नि दयासुख जाति जाट निवासी नुवां हाल आबाद सुरपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सावित्री पुत्री हजारीराम पत्नि रामप्रताप जाति जाट निवासी नुवां हाल आबाद सुरपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
6. कमां पुत्री हजारीराम पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी नुवां हाल आबाद सुरपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सन्तोष पुत्री हजारीराम पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी नुवां हाल चुलीकलां त0 उचाना जिला हिसार।
8. इन्द्रावती पुत्री हजारीराम पत्नि बलवानसिह जाति जाट निवासी नुवां हाल चुलीकंला त0 उचाना जिला हिसार।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रामजस गढवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राजेन्द्र सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक दावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुंवा के खाता सं0 289/252 के खसरा सं0 91/2 की 6.8290है0 खसरा सं0 125/2 की 1.1630है0 कुल 7.9920है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हजारीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 हजारीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी पूर्णाराम, प्रतिवादी सं0 2 महावीर प्रतिवादी सं0 3 भादरराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.6.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified
Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

**प्रकरण सं0 : 31/2021**

1. पुर्णाराम पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट निवारी नुवां त0 भादरा । :-**वादी**

**ब ना म**

1. हजारीराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा ।
2. महावीर पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
3. भादरराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
4. विमां पुत्री हजारीराम पत्नि दयासुख जाति जाट निवासी नुवां हाल आवाद सुरपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सावित्री पुत्री हजारीराम पत्नि रामप्रताप जाति जाट निवासी नुवां हाल आवाद सुरपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
6. कमां पुत्री हजारीराम पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी नुवां हाल आवाद सुरपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सन्तोष पुत्री हजारीराम पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी नुवां हाल चुलीकलां त0 उचाना जिला हिसार।
8. इन्द्रावती पुत्री हजारीराम पत्नि बलवानसिह जाति जाट निवासी नुवां हाल चुलीकंला त0 उचाना जिला हिसार।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री रामजस गढवाल : **वादी**
वकील श्री राजेन्द्र सहारण : **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** **दिनांक :** 25.6.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नुंवा के खाता सं0 289/252 के खसरा सं0 91/2 की 6.8290है0 खसरा सं0 125/2 की 1.1630है0 कुल 7.9920है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हजारीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा रूपराम की खातेदारी हुआ करती थी। रूपराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हजारीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को [illegible] रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ [illegible] लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त [illegible] एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 9 की ओर से जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पंत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 पूर्णराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी नुवां द्वारा वारिसप्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाउ प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही नुवां संवत 2029–38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही नुवां के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने साक्ष्यवादी में सत्यप्रतिलिपी वारिसप्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाउ प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही नुवां संवत 2029–38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण के अनुसार हजारीराम के इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का जन्म से हक हिस्सा निहित है वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना दावा में इंगित नहीं है अतः प्रतिवादी सं 1 के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चुंकि प्रतिवादी सं0 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

**क्रियात्मक आदेश**

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुंवा के खाता सं0 289/252 के खसरा सं0 91/2 की 6.8290है0 खसरा सं0 125/2 की 1.1630है0 कुल 7.9920है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हजारीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 हजारीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने [illegible] है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी पूर्णाराम, प्रति[illegible] महावीर प्रतिवादी सं0 3 भादरराम को बहिस्सा बराबर के [illegible] दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अ[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.6.21 को मेरे [illegible]रा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण) (फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner